

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं  
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक:एफ.3(8)पोषा/सबला/ICDS/2010/

जयपुर, दिनांक:

उप निदेशक

महिला एवं बाल विकास विभाग,

जयपुर, उदयपुर, बांसवाडा, खूंजरपुर,

जोधपुर, बाडमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर,

झालावाड एवं भीलवाडा।

विषय:--सबला योजनान्तर्गत विकेन्द्रीयकृत व्यवस्था के माध्यम से पूरक पोषाहार वितरण के सम्बन्ध में।

प्रसंग:-- समसंख्यक विभागीय पत्रांक 11369-378 दिनांक 24.02.2015

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा जिन बाल विकास परियोजनाओं में आयुवर्ग 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों एवं गर्भवती/घात्री महिलाओं हेतु विकेन्द्रीयकृत पूरक पोषाहार व्यवस्था प्रारम्भ की जा चुकी है, उन परियोजनाओं में सबला योजनान्तर्गत किशोरी बालिकाओं को भी स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से पूरक पोषाहार उपलब्ध कराने के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं।

वर्ष 2015-16 के दौरान सबला योजना के क्रियान्वयन के संबंध में भारत सरकार से स्पष्ट निर्देश प्राप्त नहीं होने कारण निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 01.04.2015 के पश्चात सबला योजनान्तर्गत स्थानीय स्तर पर स्वयं सहायता समूहों से पूरक पोषाहार का क्रय आगामी आदेशों तक नहीं किया जायें।

  
(डॉ. पृथ्वी)  
निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएं,  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:एफ.3(8)पोषा/सबला/ICDS/2010/ 21101-225

जयपुर, दिनांक: 15/3/15

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राज. जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (एसएचजी) महिला अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
5. बाल विकास परियोजना अधिकारी,.....।
6. कम्प्यूटर प्रोग्रामर, मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

  
(आर.एस.मीना)  
अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार)